176/2016

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 176/2016 अनवानी श्री त्रिलोकचंद चायल पुत्र श्री रामकुमार चायल निवासी मकान न0 26 वार्ड न0 5 इन्द्रा कोलोनी, सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर

03–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री त्रिलोकचंद चायल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री त्रिलोकचंद चायल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थी:–

1– उपखण्ड न्यायालय सादुलशहर में 175 आर.टी.ए के कितने वाद लंबित है।
2– उक्त लंबित प्रकरण में आज तक क्या क्या कार्यवाही की गई?
3– उपखण्ड न्यायालय सादुलशहर में लंबित उक्त 175 आर.टी.ए. के प्रकरणो में कितंने प्रकरणो में रिसीवर नियुक्त करने की कार्यवाही की गई है?
4– उपखण्ड न्यायालय सादुलशहर में लंबित 175 आर.टी.ए. प्रकरणो की प्रमाणित सूची वादी–प्रतिवादी का नाम, प्रकरण संख्या, स्टेज व आगामी तारीख पेशी सहित कमबद्ध बिन्दुवार प्रमाणित करके प्रदान करने की कृपा करें।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने पत्र सं0 643 दिनांक 25.10.16 से बिन्दु सं0 2 व 4 की सूचना जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जबकि सूचना उनके क्षेत्राधिकार की है और रिकार्ड में उपलब्ध है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर द्वारा अपना प्रतिवेदन सं0 34 दिनांक 10.01.17 प्रस्तुत किया है अपीलार्थी द्वारा चाही गई चार बिन्दुओ की सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 643 दिनांक 25.10.2016 दी जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 2 व 4 की सूचना के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है। बिन्दु सं0 2 के संबंध में मूल पत्रावलियों के अलावा अन्य कोई रिकार्ड संधारित नही है व बिन्दु सं0 4 के संबंध में समस्त दावो का एक ही दायरा रजिस्टर संधारित है धारा 175 आरटीए के प्रकरणो का अलग से कोई रिकार्ड संधारित नही है जिस कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर ने अपने पत्र सं0 643 दिनांक 25.10.16 से बिन्दुवार निम्नानुसार अपीलार्थी को उत्तर दिया गया है:–

1– उपखण्ड न्यायालय सादुलशहर में 175 आर.टी.ए. के कुल 17 प्रकरण लंबित है।
2– नियमनुसार व प्रकरणानुसार कार्यवाही की जा रही है।
3– किसी भी उक्त लंबित प्रकरण में रिसीवर की कार्यवाही नही की गई है।
4– इस बिन्दु में चाही गई सूचना का रिकार्ड कमबद्ध संधारित नही है इस कारण सूचना दिया जाना संभव नही है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर द्वारा उपलब्ध करवाई गई उक्त बिन्दु सं0 2 व 4 की सूचना की असन्तुष्टी से अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

बिन्दु सं0 2 की सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा 175 आरटीए के प्रकरणो में नियमानुसार कार्यवाही करने की सूचना दी गई है जबकि अपीलार्थी ने बिन्दु सं0 2 में उक्त लंबित प्रकरणो में आज तक क्या क्या कार्यवाही की गई है की सूचना चाही है जो प्रश्नात्मक रूप में है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु सं0 4 की सूचना के संबंध उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर द्वारा रिकार्ड कमबद्ध न होने से सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जबकि अपीलार्थी ने इस बिन्दु में अपने द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र में (वादी–प्रतिवादी का नाम, प्रकरण संख्या, स्टेज व आगामी तारीख पेशी सहित कमबद्ध बिन्दुवार सूचना चाही है) जो कोई निश्चित सूचना नही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए एवं निश्चित सूचना होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो की सूचना प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए बिन्दु सं0 2 व 4 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना
(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर